

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असीधारण

EXTRAORDINARY

भाग—I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1973/माघ 14, 1894

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1973/MAGHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd February 1973

SUBJECT.—*Licensing conditions pertaining to French Special Credit for Fast Breeder Test Reactor Project of the Department of Atomic Energy, 1972-73.*

No. 9-ITC(PN)/73.—The condition governing the issuance of import licences pertaining to French Special Credit for Fast Breeder Test Reactor Project of the Department of Atomic Energy, 1972-73 as given in Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

PREAMBLE.—This Special Credit of the value of FF 35.00 million has been given for the requirement of the Department of Atomic Energy for its Fast Breeder Test Reactor Project, the total foreign exchange cost of which is estimated at FF 55.00 million. The balance of FF 20.00 million will be imputed against the normal annual French Credit (Project portion).

1. Import Licence.—One import licence on CIF basis will be issued for the whole amount of FF 35.00 million, except the amount to be utilised under the French Suppliers' Credit, *vide*, para 2 below. The licence will be valid for placement of order for 3 years. It may be revalidated, if so requested, for a very limited time on the basis of justification that has to be forwarded by the project authorities.

2. **Ordering.**—Orders may be placed on the French suppliers on the basis of *firm prices* according to the requirements of the project within the validity period of the import licence referred to in para 1 above.

Under the Credit Agreement, Government of India have the option to substitute Buyers' Credit by Suppliers' Credit if such a course is found to be more beneficial. It has, therefore, been considered necessary that Department of Atomic Energy should invite quotations from French Suppliers for supply of equipment on credit terms mentioned below: Down payment upto 5 per cent of the contract value; repayment of the balance over a period of 10 years commencing six months after the completion of the shipments and interest rate of 6 per cent, per annum, free of Indian income tax, inclusive of financing charges if any. The Department of Atomic Energy should also invite quotations on the basis of payment terms, indicated in para 6 below. On the basis of this data, Government of India will decide the mode of financing the imports, and advise the importer on the mode he may adopt. In the event of electing for Suppliers' Credit, licensing conditions pertaining to such credit arrangement will be issued separately.

3. **Terms of Contracts.**—A contract should be placed in *French Francs* on a C & F basis and should clearly indicate FOB price and Freight of the contract value separately for each element. The insurance will be taken out with any Indian Insurance Company and the payment for insurance will be made only in rupees. The ocean freight can be covered under French Credit only if the goods have been shipped on a French flag vessel. The value of import should be reckoned at present at the Central rate of one French Franc=Rs. 1,422.

The above rate of exchange is, however, subject to revision if and when the IMF fixes a different parity between the Indian Rupee and French Franc.

4. **Origin of goods.**—The goods should be of French origin unless a part thereof is *permitted* by the French authorities to be of non-French origin. A stipulation as to the origin of goods should be invariably incorporated to the contracts entered into with the French Suppliers and wherever necessary a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract. However, if considered necessary, goods can be permitted to be shipped from non-French ports. If such a course of action is considered advisable the reasons therefor should be clearly explained while forwarding the contracts to the Department of Economic Affairs for approval.

5. **Payment terms.**—(i) *Advance Payments.*—An advance payment of 5 per cent of the price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into effect, unless any other terms are settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial practice in this matter, for the particular type of goods concerned.

However, where an amount higher than 5 per cent is to be provided for payment as an advance, *prior* approval of the Department of Economic Affairs should be obtained, with full justification, before any commitments are made.

(ii) *Other payments.*—Apart from the amount of down payment, it is permissible to pay the balance amount at the time of last shipment of equipment under the contract, or at the time of completion of erection, or on commissioning of the plant, or *pro rata* according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

6. **Condition to be stipulated in the contract.**—The contract should suitably incorporate the terms and conditions set out below, apart from those considered necessary by the contracting parties, to make it eligible for being financed under the French Credit:—

(i) That the contract is subject to the approval of the Indian and French authorities for financing under the French Credit in terms of the Indo-French Financial Protocol according to which the French Credit would be a combination of a French Treasury loan and a Buyer's Credit. Each contract will be financed to the extent of 45 per cent from the Treasury Loan and 55 per cent from the Buyers' Credit or Bank Credit.

(ii) That the suppliers, or their banks will be paid from the French Treasury loan upto the first 45 per cent of the value of the contract and for

the remaining 55 per cent, payment to them will be made from the Buyer's Credit, in accordance with condition 12 below.

- (iii) That the suppliers should present the payment documents in quadruplicate, (this may be increased if the importer needs more than one set to the Banque National de Paris 16, Boulevard Des Italiens, Paris or the Banque Francaire du Commerce Extérieur, 21, Boulevard Hussaman, Paris (se me), as the case may be, which will arrange for making the necessary payment itself, or through any other agency in France. The presentation of payment documents by the French suppliers should be prescribed in each contract. An illustrative list of the documents is given in the Annexure I.
- (iv) That the contract value is broken down into FOB cost and Freight elements, separately.
- (v) That the terms of payment, e.g. amount payable on the contract becoming effective, and that payable against of project etc., are set out in precise terms, ... the schedule of deliveries/payments.

7. **Customary Guarantee.**—The importer may arrange for obtaining any customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

8. **Submission of Contract Documents.**—Within 20 days of the placing or orders, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WEI) Section, North Block, New Delhi.

- (i) Ten certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the French supplier. The order placed by the importer will not be construed to constitute a contract without its acceptance by the French suppliers. Where the Suppliers' acceptance letter is in French and English translation of the letter should be provided. In case, where a contract has not been executed, as a single document, 10 certified copies of both the importer's order and suppliers' acceptance thereof, alongwith amendment(s), if any, should be letters exchanged between the importer and the supplier, a consolidated contract should be entered into in substitution. The contract can be processed only if all the documents are complete, alongwith those stipulated below.
- (ii) Photo copy of import licence valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance of French supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) Other particulars stipulated in Annexure-II in duplicate.

The contract will be processed as per condition 9 below, only after all these documents have been furnished.

9. **Notification of Contract.**—The contract will be notified by the Department of Economic Affairs to the Counsellor for Economic Affairs Embassy of France, New Delhi, if it is complete in all respects and the import licence is valid for ordering and is considered eligible for financing under the French Credit.

10. **Effectuation of Contract.**—The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification by the Department of Economic Affairs, provided no objection is raised by the Embassy of France within that period.

11. **Remittance from India.**—No remittances from India are permissible under the import licence issued under the French Credit, except in terms of condition 14 below.

12. **Method of payment.**—Payments are made to the supplier both from the French Treasury loan and the Buyer's credit through Banque Nationale de Paris, or the Banque Francaise du Commerce Extérieur, or any other agency in France, on the basis of a "Letter of Instruction" to be issued by the Controller

of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, on effectuation of the contract.

13. Despatch of Shipping Documents.—Immediately after payments have been effected in accordance with the Letter of Instruction referred to above, the original set of documents (negotiable), alongwith details of bank charges (1/8th of one per cent documentation charge, plus tax @ 17.60 per cent thereon) and expenses on postage, will be sent by Banque Nationale de Paris, or the Banque Francaise de Commerce Extérieur, as the case may be to the project authorities direct.

14. Remittances of Bank Charges.—Within a week of receiving the intimation about bank charges, vide condition 13 supra from the Banque Nationale de Paris, or the Banque Francaise du Commerce Extérieurs, as the case may be, the remittances of Bank charges and equivalent rupee deposit will be arranged by the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, by debit to the authority concerned. For this purpose the project authorities should intimate the charges promptly to the Controller of Aid Accounts.

15. Time limit for effecting rupee deposits.—On receipt of the documents mentioned in condition 13 supra, the department of Atomic Energy will ensure that its Accounts Officer promptly accept the debits, as and when raised by AGCR, on the basis of advice issued by the Ministry of Finance.

ANNEXURE I

Illustrative List of Documents

[Para 6(iii)]

1. Commercial invoice for the value of the equipment shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on-board ocean or charter party bills of lading or air way bills, as the case may be, with packing lists where applicable; certificate, if any prescribed in the contract.

3. Written attestation from the suppliers along with necessary customs documents, certifying that the French Suppliers have complied with the percentage of french expenses authorised by the French Government.

4. Any other documents.

ANNEXURE II

(In Duplicate)

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
WE-I Section, North Block,
New Delhi-1.

Sir,

SUBJECT.—*Import under the Special French Credit.*

In connection with the import of (short description of the goods or services) from France under the above credit, we furnish the following particulars:—

- (a) Number, date, value and last date of validity of the import licence for
 - (i) ordering, and (ii) shipments.
- (b) Name and address of the French suppliers;
- (c) Date of the contract;

OR

Date of Suppliers letter of acceptance
of the orders placed against the licence.

- (d) Value of the contract:
 FOB Price:
 Freight:
 Insurance:.....
 TOTAL: _____

- (e) Short description of the goods to be imported;
 (f) Terms of Payment under the contract.
 (g) The date on which payments under the contract will fall due in respect of advance payments and other payments;
 (h) The dates on which the equipment will be shipped or services performed together with the value of each shipment, or service performed, based on the delivery schedules, or stipulations in the contract.

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and a photostat copy of the import licence are enclosed.

3. Debits relating to the transactions are adjustable in the book of _____

(Designation and complete postal address of the Accounts Officer) and we shall ensure that they are adjusted as soon as they are raised in terms of para 15 of the licensing conditions.

4. You are requested to get the contract approved for financing under the Special French Credit and issue necessary authorisation to the French authorities to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,
 Licensee.

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973.

विवरण.—1972-73 के लिए परमाणु-ऊर्जा विभाग के शीघ्र प्रजनक परीक्षण अभिक्रियक परियोजना के लिए विशेष फ्रेंच क्रेडिट से संबंधित लाइसेंस शर्तें।

संख्या 19-आई०टी०सी० (पीएन)/73.—1972-73 के लिए परमाणु-ऊर्जा विभाग के शीघ्र प्रजनक परीक्षण अभिक्रियक परियोजना के लिए विशेष फ्रेंच क्रेडिट के संबंध में आयात लाइसेंस जारी करने के लिए लागू होने वाली जैसी शर्तें प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं वे व्यापारी की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

परिशिष्ट

प्रस्तावना.—परमाणु ऊर्जा विभाग को उनके शीघ्र प्रजनक परीक्षण अभिक्रियक परियोजना की आवश्यकताओं के लिए एक एक 3 करोड़ 50 लाख मूल्य का यह विशेष क्रेडिट दिया गया है जिसकी कुल अनुमानित विदेशी मुद्रा लागत एक एक 5 करोड़ 50 लाख है। शेष एक एक 2 करोड़ सामान्य वार्षिक फ्रेंच क्रेडिट (परियोजना भाग) के मद्दे दिया जाएगा।

1. आयात लाइसेंस.—फ्रेंच संभरकों के क्रेडिट के अंतर्गत उपयोग कर ली गई धनराशि को छोड़कर नीचे की कंडिका 2 देखें, समूची धनराशि एफ एफ 3 करोड़ 50 लाख के लिए लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर एक आयात लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। आदेश देने के लिए लाइसेंस तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा? यदि पुनर्वैध के लिए आवेदन किया जाए तो इसे बहुत सीमित समय के लिए औचित्य प्रस्तुत करने पर जो परियोजना प्राधिकारी द्वारा भेजे जाते हैं, पुनर्वैध किया जा सकता है।

2. आदेश देना.—फ्रेंच संभरकों को आदेश, परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित कीमतों के आधार पर उपर्युक्त कंडिका 1 में संकेतित लाइसेंस अवधि के भीतर दिए जा सकते हैं।

क्रेडिट सविदा के अंतर्गत भारत सरकार को विक्रेता-क्रेडिट को संभरक क्रेडिट द्वारा प्रतिस्थापित करने की छूट है यदि ऐसी विधि अधिक लाभदायक पाई जाती है। इसलिए, यह आवश्यक समझा गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग को चाहिए कि वह निम्नलिखित क्रेडिट की शर्तों के अनुसार उपकरण के संभरण के लिए फ्रेंच संभरकों से निविदाएं आमंत्रित करे करार मूल्य के 5% तक तत्क्षण भुगतान पोतलदान पूर्ण हो जाने के 6 मास बाद से लेकर 10 वर्ष की अवधि के ऊपर के शेष का पुनः भुगतान तथा 6% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज जो भारतीय आय कर से मुक्त होगा किन्तु यदि कोई हो तो वित्तीय प्रभारों को शामिल करके होगा। परमाणु-ऊर्जा विभाग को यह भी चाहिए कि वह नीचे की कंडिका 6 में संकेतित भुगतान शर्तों के आधार पर भी निविदाएं आमंत्रित करे। इस प्रांकड़े के आधार पर भारत सरकार आयातों के लिए वित्तदान की पद्धति का निश्चय करेगी और आयातक को कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए इस के लिए परामर्श करेगी। संभरकों के लिए क्रेडिट के चुनाव करने की स्थिति में ऐसे क्रेडिट व्यवस्था से संबंधित लाइसेंस शर्तें अलग से जारी की जायेंगी।

3. सविदाओं की शर्तें :—सविदा लागत तथा भाड़ा के आधार पर फ्रेंच फ्रैंक में की जानी चाहिये और उसमें प्रत्येक मद के लिये सविदा मूल्य के अंशों पर निःशुल्क कीमत तथा भाड़ा अलग अलग रूप से संकेतित होना चाहिये। बीमा किसी भी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ किया जायगा और बीमा के लिये भुगतान केवल रुपयों में किया जाएगा। फ्रेंच क्रेडिट के अंतर्गत समूची भाड़ा तभी लिया जा सकता है जब कि माल का लदान फ्रान्सीसी ध्वज वाले पोत में किया गया है।

मौजूदा 1 फ्रैंक—1.422 रु० की केन्द्रीय दर के हिसाब से आयात के मूल्य की गिनती की जानी चाहिये।

लेकिन, जब कभी आई० एम० एफ० भारतीय रुपये तथा फ्रेंच फ्रैंक के बीच एक भिन्न समता का निश्चय करती है तो उपर्युक्त विनियम की दर परिवर्तन के अधीन है।

4. माल का उद्गम :—जब तक माल के किताबें भी भाग के लिये फ्रांस के प्राधिकारी द्वारा और फ्रांस मूल्य की स्वीकृति नहीं दी जाती है तब तक उस फ्रांस मूल्य का ही होना चाहिये। फ्रेंच संभरकों के साथ की गई सविदाओं में निरूपवाद रूप से माल के उद्गम को सविदा में अनुबन्धित करने की शर्त होनी चाहिये और जहाँ कहीं आवश्यक हो तीसरे देश के आयात के लिये फ्रांस प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के प्रमाण में एक पत्र भी सविदा के साथ भेजा जाना चाहिये। लेकिन, यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो और-फ्रांस पत्तन से माल लदान के लिये स्वीकृति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार की कार्रवाही उपयुक्त समझी जाती है तो आर्थिक कार्य विभाग को सविदा में अनुमोदित करने के लिये प्रेरित करने समथ इसके कारणों को लाभ-हानि रूप से संकेतित किया जाना चाहिये।

5. भुगतान की शर्तें :—(1) अग्रिम भुगतान :—संविदा प्रभावी होते हुये समय संभरण के मूल्य के 5 प्रतिशत तक के लिये अग्रिम भुगतान किया जा सकता है बशर्ते कि संबद्ध माल की विशेष किस्म के लिये इस मामले में सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रवृत्ति के अनुसार क्रेता और विक्रेता के बीच में अन्य किसी किस्म की शर्तें निश्चय न की गई हो ।

लेकिन, जहां कहीं 5 प्रतिशत से अधिक राशि को अग्रिम भुगतान के रूप में दिया जाता है तो, इसके लिये किसी प्रकार के बचन दिये जाने से पूर्व पूर्ण औचित्य के साथ आर्थिक कार्य विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये ।

(2) अन्य भुगतान :—तत्क्षण भुगतान की धनराशि के अतिरिक्त, संविदा के अन्तर्गत उत्तरण के अन्तिम लदान के समय अथवा निर्माण के पूर्ण होने के समय अथवा संयंत्र के चालू होने के समय अथवा प्रत्येक लदान के अन्तर्गत आने वाले माल के मूल्य के अनुसार अनुपात में शेष धन राशि का भुगतान लदान अनुसूची के आधार पर स्वीकृत है ।

6. संविदा में अनुवृद्ध की जाने वाली शर्तें :—फ्रेंच क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त की जा रही संविदा को योग्य बनाने के लिये, इनमें उक्त शर्तों के अतिरिक्त जो संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझे जायें निम्नलिखित नियम तथा शर्तें उपयुक्त रूप से निविष्ट होनी चाहिये :—

(1) यह कि संविदा फ्रॉंसीसी क्रेडिट के अन्तर्गत वित्त दान के लिए भारतीय फ्रेंच आर्थिक न्याचार की शर्तों के अनुसार भारतीय तथा फ्रेंच प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है जिसके अनुसार फ्रेंच क्रेडिटफ्रेंच राजकोष ऋण तथा क्रेता के क्रेडिट का सम्मिश्रण होगा प्रत्येक संविदा 45 प्रतिशत तक अनुसार फ्रेंच क्रेडिट राजकोष ऋण के अर्थयुक्त की जायेंगी और 55 प्रतिशत क्रेता को क्रेडिट से अथवा बैंक क्रेडिट से ।

(2) यह कि संभरणों अथवा उनके बैंकों को संविदा के 45 प्रतिशत तक का भुगतान फ्रेंच राजकोष ऋण से किया जाएगा और शेष 55 प्रतिशत तक का भुगतान नीचे दी गई कंडिका 12 के अनुसार क्रेता का क्रेडिट में से किया जाएगा ।

(3) यह कि संभरणों को चाहिये कि वे भुगतान दस्तावेजों को तीन प्रतिवियों में (यदि आयातक को एक सेट से अधिक की आवश्यकता हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है) बैक्यू नेशनल डी पेरिस, 16, बुलिवार्ड देस इटेलियन, पेरिस (9 ए.मि) को अथवा बैक्यू फ्रॉन्केस डू कामर्स एक्स्टीरियर, 21, बुलिवार्ड हुस्मान, पेरिस (9 ए.मि) के जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करे जो कि स्वयं अथवा फ्रांस में किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से आवश्यक भुगतान करने की व्यवस्था करेगा फ्रेंच संभरणों द्वारा भुगतान दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण प्रत्येक संविदा में निर्धारित किया जाना चाहिये । दस्तावेजों की निदर्शी सूची अनुबन्ध-1 में दी गई है ।

(4) यह संविदा मूल्य से जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत तथा भाड़ा घटकों में अलग अलग खंडित किया जाता है ।

(5) यह कि भुगतान की शर्तें उदाहरणार्थ प्रभावी होने वाली संविदा पर श्रदा की जाने वाली धनराशि और परियोजना आदि के लदान/पूर्ण होने के मद्दे श्रदा की जाने वाली धनराशि, सुस्पष्ट रूप से तैयार की जाती हैं और इनमें सुपुर्दगी/भुगतान अनुसूची के ब्यौरे भी दिये जाते हैं।

7. प्रथागत गारन्टी :—आयातक किसी भी प्रथागत गारन्टी (यों) को जो कि उसके हित के लिये आवश्यक हो उसे प्राप्त करने के लिये व्यवस्था कर सकता है।

8. संविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण :—आदेश दिये जाने के 20 दिनों के भीतर आयातक को चाहिये कि वह निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई०-1) अनुभाग नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 को भेजे :—

- (1) संविदा की दस प्रमाणित प्रतियां और अन्य कोई संशोधन(नो) जो विधिवत अंग्रेजी भाषा में निष्पादित की गई हों और भारतीय आयातक तथा फ्रेंच संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित हों। आयातक द्वारा दिया गया आदेश तब तक संविदा नहीं समझा जायेगा जब तक कि फ्रेंच संभरक द्वारा स्वीकृत नहीं हो जाता है। जहां संभरक का स्वीकृति पत्र फ्रेंच भाषा में हो तो उस पत्र के अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था की जानी चाहिये। ऐसे मामले में, जहां संविदा केवल एक दस्तावेज के रूप में निष्पादित की जाती है वहां आयातक के आदेश का संभरक की स्वीकृति दोनों की 10 प्रमाणित प्रतियां संशोधन(नो) यदि कोई है तो उसके साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये। यदि संविदा में कई संशोधन हैं अथवा आयातक तथा संभरक के बीच आदान प्रदान किये गये कई पत्र हैं तो उसके स्थान पर एक समेकित संविदा की जानी चाहिये। संविदा तभी प्रक्रियागत की जा सकती है जब कि निम्नलिखित अनुबद्ध दस्तावेजों के साथ सभी दस्तावेज पूर्ण हैं :—
- (2) आयात लाइसेंस की फोटो प्रति जो संविदा के निष्पादन की तिथि को संविदा करने के लिये आयातक द्वारा फ्रेंच संभरक को दिये गये आदेश की स्वीकृति के लिये वैध हो।
- (3) दो प्रतियों में अनुबद्ध-2 में अनुबद्ध किये गये अन्य ब्यौरे इन सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के बाद ही संविदा नीचे दी गई कंडिका 9 के अनुसार प्रक्रियागत की जाएगी।

9. संविदा को अधिसूचित करना :—यदि संविदा सब प्रकार से पूर्ण होगी और आयात लाइसेंस आदेश देने के लिये वैध होगा और यदि यह फ्रांसीसी क्रेडिट के अधीन अर्थयुक्त करने के लिये उचित समझा जायेगा तो संविदा आर्थिक कार्य विभाग, द्वारा आर्थिक कार्य सलाहकार, फ्रांसीसी दूतावास, नई दिल्ली को अधिसूचित की जायेगी।

10. संविदा का कार्यान्वयन :—आर्थिक कार्य विभाग इसको अधिसूचित करने के 20 दिन बाद संविदा कार्यान्वित समझा जायेगी बशर्ते कि इस अवधि के भीतर फ्रांस दूतावास कोई आपत्ति न उठाये।

11. भारत से धनपरेषण.—फ्रान्सिसी क्रेडिट के अन्दर जारी किए गए लाइसेंसें के अधीन निम्नोक्त शर्त 14 की शर्तों के अतिरिक्त भारत से किसी भी धनपरेषण की अनुमति नहीं है।

12. भुगतान का तरीका.—संभरक को भुगतान संबिदा के कार्यान्वित होने पर, नियंत्रक लेखा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए “अनुदेश पत्र” के आधार पर बैंक नेशनल डि पैरिस या बैंक फ्रान्काइज डा कामर्स एक्सटीरियर या फ्रान्स में किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से फ्रान्सीसी राजकोष ऋण और क्रेता के क्रेडिट दीनों से किए जाते हैं।

13. पोलदान दस्तावेजों का भेजना.—उपर्युक्त अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान कार्यान्वित हो जाने के तुरन्त बाद दस्तावेजों (विनिमय) का मूल सैट, बैंक प्रभारों के व्यौरे (दस्तावेजीकरण प्रभार के 1 प्रतिशत का $1/8+$ उस पर 17.60 प्रतिशत की दर से कर) और डाक खर्चों के साथ बैंक नेशनल डि पैरिस द्वारा या बैंक फ्रान्काइज डा कामर्स एक्सटीरियर द्वारा जैसा भी मामला हो सीधे परियोजना प्राधिकारियों को भेजा जायेगा।

14. बैंक प्रभारों का धन परेषण.—संबद्ध प्राधिकारी को बैंक प्रभारों के धन परेषण और तुल्य रुपया निक्षेप की व्यवस्था नियंत्रक सहायता लेखा, आर्थिक कार्य विभाग या बैंक नेशनल डि पैरिस या बैंक फ्रान्काइज डा कामर्स एक्सटीरियर, जैसा भी मामला हो, से बैंक प्रभारों के बारे में सूचना प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर देखिए उपर्युक्त शर्त 13, नामे खर्चों द्वारा की जाएगी। दूरा उद्देश्य के लिये परियोजना प्राधिकारियों को नियंत्रक, सहायता लेखा को प्रभारों से तुरन्त सूचित करना चाहिये।

15. रुपया निक्षेपों को प्रभावी करने के लिए समय की सीमा.—जैसे ही और जब महालेखा-पाल केन्द्रीय राजस्व नामे खर्चों प्रस्तुत करे तो उपर्युक्त शर्त 13 में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर परमाणु ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस विभाग के लेखापाल अधिकारी ने नामे खर्चों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर तुरन्त स्वीकार कर लिया है?

अनुबन्ध 1

दस्तावेजों की निर्देशी सूची

[पैरा 6(3)]

1. लदान किए गए उपस्कर के मूल्य के लिए और किसी तत्क्षण भुगतान के व्यौरे के लिए, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक बीजक।

2. पोत पर निर्वाध सागर परिवहन (विल) या चार्टर पार्टी लदान बिलों या वायुमार्ग बिलों, जैसा भी मामला हो, जहां लागू हो संबंधित सूचियों के साथ प्रमाणपत्र यदि कोई संबिदा में निर्धारित है।

3. आवश्यक सीमा शुल्क दस्तावेजों के साथ संभरकों से लिखित, संक्षेपकन यह प्रमाणित करते हुए कि फ्रान्सीसी संभरकों ने फ्रान्सीसी सरकार द्वारा प्राधिकृत फ्रान्सीसी खर्चों की प्रतिशतता का अनुपालन किया है।

4. कोई अन्य दस्तावेज।

अनुबन्ध 2

(दो प्रतियों में)

सेवा में,

सचिव,
विस्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
इयलू ई-1 अन्तर्भाग, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली—1।

महोदय,

विषय :—अतिरिक्त फ्रान्सिसी क्रेडिट के अधीन आयात।

फ्रान्स से उपर्युक्त क्रेडिट के अधीन—

(माल और सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

के आयात के संबंध में हम निम्नलिखित व्योरे प्रस्तुत करते हैं :—

- (क) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक, मूल्य और (1) आदेश देने और (2) लदानों के लिए वैधता अवधि की अन्तिम तिथि।
- (ख) फ्रान्सिसी संभरकों के नाम और पते।
- (ग) संविदा की तिथि

अथवा

लाइसेंस के आधार पर दिए गए आदेशों की प्राप्ति पर संभरकों के स्वीकृति पत्र की तिथि

- (घ) संविदा का मूल्य

जहाज पर्यंत निगुत्व

भाड़ा

बीमा

कुल योग

- (ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण :
- (च) संविदा के अन्तर्गत भुगतान की शर्तें
- (छ) वह तिथि जिसको अग्रिम भुगतानों और अन्य भुगतानों के संबंध में संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे :

(ज) वे तिथियाँ जिनको उपस्कर लादा जाएगा या सेवाएं निष्पादित की जाएंगी, वितरण अनुसूचियों या संविदा में निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रत्येक भदान के मूल्य या निष्पादित सेवाओं के साथ ।

2. संविदा (या प्रत्येक आदेश और स्वीकृति पत्र) की और संशोधन (यदि कोई हो) की दम प्रमाणित प्रतियाँ, और आयात लाइसेंस की एक फोटोस्टैट प्रति संलग्न की जाती है ।

3. नीचे से संबंधित नामें उधार—

(लेखाधिकारी का पदनाम और पूर्ण डाक पता)

के खातों में समझनीय है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही लाइसेंस शर्तों के पैरा 15 के अनुसार वे उत्थित किए जाते हैं वैसे ही समंजित कर लिए जाएंगे ।

4. विशेष फ्रान्सिसी क्रेडिट के अधीन संविदा को वित्तधान के लिए अनुमोदित कराने के लिए और संभरकों या उन के बैंकों को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए फ्रान्सिसी प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण जारी करने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है ।

भवदीय,

लाइसेंस धारी ।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

